पत्र सख्या स्था-1- सामान्य -2019-20 // 1920086 / 4950 // वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,

(स्थापना -स्थापना राजपत्रित)

लखनऊ दिनांक- 04-02-2020

समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1/2, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

परिपत्र संख्या–स्था–1/2013–14/3161/वाणिज्य कर दिनांक–21.11.2017 (विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध) द्वारा उ0 प्र0 सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली 1956 के नियम–27–क के क्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि समस्त अधिकारियों से उचित माध्यम से ही प्रत्यावेदन/अभ्यावेदन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित है, परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि अधिकाँश अधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के बिना अपना प्रत्यावेदन/अभ्यावेदन लेकर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष मुख्यालय/शासन में उपस्थित हो जाते हैं। यह स्थिति कदाचित उचित नहीं कही जा सकती है, और सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का स्पष्ट एवं दण्डनीय उल्लघंन है।

परन्तु उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोई भी अधिकारी अपने नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के पश्चात ही मुख्यालय/शासन आदि में व्यक्तिगत सम्पर्क किया करें; क्योंकि ऐसा नहीं करने से शासन की अपेक्षानुसार शासकीय कार्यों का त्वरित निष्पादन बाधित होता है। व्यक्तिगत सम्पर्क करने से पूर्व सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी के कैम्प कार्यालय से मुलाकात हेतु समय निश्चित करना भी सुनिश्चित करें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन क्षम्य न होगा।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।